भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2889

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल समस्या के लिए राजस्थान को सहायता

2889. श्री भुपेन्द्र यादवः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2014 के पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध को देखते हुए क्या सरकार पेयजल की समस्या के दीर्घकालिक समाधन हेतु उक्त राज्य को विशेष अतिरिक्त सहायता और अगले दस वर्षों के लिए 7,275 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) से (ग) अतिरिक्त निधियों के संबंध में राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हो चुका है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, दिशानिर्देशों के अनुसार एक पूर्व अनुमोदित मानदंड के आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आबंटन किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी, मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डीडीपी), सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य और प्रबंधन हस्तांतरण सूचकांक(एमडीआई) द्वारा तरजीह दी गई ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी पर ध्यान दिया जाता है। एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत निधियों के मौजूदा आवंटन से अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त निधि के अनुरोध पर, वित्तीय वर्ष की अंत में इस मंत्रालय के पास उपलब्ध बचत की शर्त के अधीन विचार किया जाता है। तथापि, एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्थान को सभी राज्यों की तुलना में उच्चतम आवंटन पहले से ही प्राप्त हो रहा है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के वर्धित हस्तांतरण के मद्देनजर, राज्य पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए राज्य योजना से और निधियां जुटा सकते हैं।